



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]
No. 94]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2005/फाल्गुन 13, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2005/PHALGUNA 13, 1926

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2005

सा.का.नि. 153(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 घ में, 'मार्गदर्शक सिद्धांतों' शीर्षक के अधीन,
(क) मामला 1 के शीर्षक में, 'एल्युमिनियम' शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“(एलुमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए प्रेषित बाक्ससाइट और लेटराइट)”;
(ख) मामला 2 के नीचे स्पष्टीकरण में, एल्युमिनियम शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“(एलुमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए प्रेषित बाक्ससाइट और लेटराइट)”;
(ग) मामला 3 के शीर्षक में, एल्युमिनियम शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“(एलुमिना और एल्युमिनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए प्रेषित बाक्ससाइट और लेटराइट)”;

[फ्र. सं. 7/1/2005-एम-VI]

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 1398 तारीख 26-11-1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 49(अ) तारीख 28-1-2005 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2005

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 64D of the Mineral Concession Rules, 1960, under the heading 'Guidelines' :—
 - (a) In the heading of Case 1, after the word 'aluminium,' the following shall be inserted, namely :—
“(bauxite and laterite despatched for use in alumina and aluminium metal extraction)”;
 - (b) In the Explanation below Case 2, after the word aluminium, the following shall be inserted, namely :—
“(bauxite and laterite despatched for use in alumina and aluminium metal extraction)”;
 - (c) In the heading of Case 3, after the word 'aluminium,' the following shall be inserted, namely :—
“(bauxite and laterite despatched for use in alumina and aluminium metal extraction)”;

[F. No. 7/1/2005-M-VI]

PRASHANT MEHTA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Official Gazette *vide* number GSR 1398 dated 26-11-1960 and lastly amended *vide* No. G.S.R. 49(E), dated 28-1-2005.